बिहार विधान सभा वादवृत्त

वृहस्पतिवार, तिथि ३१ जुलाई, १९५२।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में वृहस्पतिवार, तिथि ३१ जुलाई, १९५२, को ११ बजे पुर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्पसूचना प्रश्नोत्तर।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

रात्रि पाठशाला योजना।

२०३। श्रीमती जनक किशोरी देवी*—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में रात्रि पाठशाला योजना चालू है;

(ख) क्या यह बात सही है कि इस योजना के अनुसार हरलाखी थानान्तर्गत खिरहर में भी सरकार के तरफ से एक रात्रि पाठशाला चलाई जा रही है;

(ग) यदि खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो राज्य में कितनी जनता इस योजना से लाभ उठा सकी है और सरकार को कितने रुपये खर्च करने पड़े हैं;

(घ) (i) क्या जनता इससे लाभ नहीं उठा सकी है, यदि नहीं तो सरकार ने इस योजना को चालू रखने पर विचार किया है;

(ii) राज्य में अभी कहाँ-कहाँ रात्रि पाठशालायें सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और किस आधार पर;

(ङ) यदि खंड (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो कितने शिक्षक उसमें काम करते हैं और अबतक कितने विद्यार्थी उस स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर लाभ उठा सके हैं और उस स्कूल का कार्यक्रम कब से और कहाँ पर चालू है;

*सदस्या की अनुपस्थिति में श्री नन्दकिशोर नारायण के अनुरोध पर उत्तर दिया गया।

श्री भोला पासवान—सरकार को इसकी खबर नहीं है।

श्री कामता प्रसाद गुप्ता—क्या सरकार खबर लेगी ?

SHRI BHOLA PASWAN: It is a request for action.

श्री विन्देश्वरी प्रसाद मंडल—डिसमॉर्डर होने की क्या वजह थी और पंचायत कायम क्यों नहीं हुई ?

श्री भोला पासवान—डिसमॉर्डर हुआ इसलिए रोक दिया गया। शायद लोकल ऑफिसर तैनात थे या नहीं यह मैं नहीं कह सकता हूँ।

श्री पशुपति सिंह—भविष्य में इस तरह का जो डिसमॉर्डर ग्राम पंचायत की मीटिंग में हो जाता है उसको रोकने के लिए सरकार के पास कोई योजना है या नहीं ?

श्री भोला पासवान—भविष्य की बात नहीं की जा सकती है।

APPOINTMENT OF GOVERNMENT KARMCHARIS.

248. SHRI DEVENDRA NATH MEHTA: Will the Minister incharge of the Revenue Department be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that the Government Karmacharis were appointed after interview by the Land Reforms Commissioner, Bihar, who is higher in rank than the Collector of District in the year 1948;

(*b*) whether it is a fact that the Government Karmacharis have again been ordered for interview by the Collector of the District concerned;

(*c*) whether it is a fact that the Government Karmcharis numbering several thousands who have worked satisfactorily for several years, are going to be retrenched;

(*d*) whether it is a fact that the appointments of the Government Karmacharis were made in view of the implementation of the Zamindari Abolition or the Land Reforms Act throughout the State, and they were trained so long in order to equip them for good work in connection with Land Reforms Act, in the Zamindaries all over the State;

(*e*) whether Government mean to implement the Land Reforms Act, sometimes sooner or later all over the State, and thereby require the services of trained Karmacharis ?

SHRI MAHESH PRASAD SINHA: (*a*) The reply is in the affirmative.

(*b*) The reply is in the affirmative.

The post of existing Karmcharis are sanctioned till the 31st August, 1952 for the present. Instructions to District Officers have been issued to examine the fitness of the existing Karamcharis to be retained in the posts for further period and send up proposal for retention of suoh number of Karamcharies only who are found suitable and deserving and the vacancies so caused will be filled up by the ex-employees of the landlords.

(*c*) The reply is in the negative.

Only those Karmcharies will be weeded out who will be found to be unsuitable and inefficient.

(*d*) The reply is in the affirmative.

(*e*) The reply is in the affirmative; but Government will dispense with only those Karmacharies who have proved useless inspite of receiving training for so many years.

श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह—३१ अगस्त, १९५२ तक पोस्ट सेन्कशन हुए थे और वहाली भी हुई थी। लेकिन अब रिट्रेन्चमेंट करने के लिए कलक्टर को इनटरव्यू करने के लिए कहा जाता है कि जो अनडिजर्विंग और अनस्वीटेबल हों उनको हटा दिया जाए। तो क्यों अनडिजर्विंग और अनस्वीटेबुल आदमी बहाल किए गए और इतने दिनों तक रखे गए थे ?

श्री महेश प्रसाद सिंह—जिस वक्त बहाल हुए थे उस वक्त की बात नहीं है। उसके बाद अगर उनका काम खराब हुआ हो तो उसके मुताबिक उनके रेकर्ड्स को एक्जामिन किया जायेगा। जिस वक्त वहाली हुई थी उस वक्त अच्छे लोगों की वहाली हुई थी।

श्री नन्दकिशोर नारायण—अभी कहा गया है कि इन्टरव्यू लेकर छटनी की जायेगी तो क्या जो लोग वहाँ ६ वर्ष से हैं उनके सर्विसेज का जो रेकर्ड्स है या उनके जो कैरेक्टर रोल्स हैं उसको देख कर छँटनी होगी या सिर्फ इन्टरव्यू लेकर छँटनी की जायगी ?

श्री महेश प्रसाद सिंह—सिर्फ रेकर्ड्स और कैरेक्टर रोल्स देख कर छँटनी की जाएगी।

श्री नन्दकिशोर नारायण—क्या कैरेक्टर रोल्स ऐसे कर्मचारियों की बनी थी।

श्री महेश प्रसाद सिंह—कैरेक्टर रोल का सवाल नहीं है काम करने की रिपोर्ट देख कर छँटनी की जाएगी।

श्री त्रिवेणी कुमार—इन्टरव्यू की क्या जरूरत है ? कैरेक्टर रोल्स देख कर क्यों नहीं छँटनी की जाती है ?

श्री महेश प्रसाद सिंह—इन्टरव्यू करने का एक सिलसिला है जिससे काम करने में सहूलियत होती है ।

श्री त्रिवेणी कुमार—सरकार के पास क्या कोई ऐसी योजना है कि कितने कर्मचारियों की छँटनी की जायगी ?

श्री महेश प्रसाद सिंह—जिसमें अनस्थीटेबुल और इनएफीसियेन्ट आदमी होंगे सरकार उनकी छँटनी करेगी ।

श्री प्रभुनाथ सिंह—क्या यह छँटनी सिर्फ कलक्टर की इच्छा पर छोड़ दिया गया है । हम जानना चाहते हैं कैसे काम को अच्छा समझा जायगा और कैसा काम को खराब समझा जायगा ?

श्री महेश प्रसाद—यह तो उनके काम के रेकॉर्ड्स की तजवीज करके डिसाइड किया जायगा ।

श्री प्रभुनाथ सिंह—उनके काम का कौन सा रेकॉर्ड्स है ?

श्री महेश प्रसाद सिंह—इसके लिए सूचना चाहिए ।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—क्या सरकार मेहरबानी कर बतायेगी कि जो कर्मचारियों की संख्या है वह इसके लिये पर्याप्त है कि जितनी जमीन्दारियाँ सरकार ने ली हैं उसका इन्तजाम कर सके ।

श्री महेश प्रसाद सिंह—यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—मैं जानना चाहता हूँ कि जितना हैं उनसे काम चलता है या नहीं ।

श्री महेश प्रसाद सिंह—जो भी जमीन्दारियाँ हमलोग ले रहे हैं उसके मुताबिक यह संख्या अपर्याप्त है ।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—तो क्या सरकार इसके बाद और बहुत से कर्मचारियों को रखने की बात सोचती है ।

श्री महेश प्रसाद सिंह—जितने की जरूरत होगी उतने रखे जायेंगे ।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह— मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार किस-किस तबके के जमींदारी कर्मचारियों को अपने यहाँ भरती करना चाहती है।

श्री महेश प्रसाद सिंह— गवर्नमेंट अपने काम के मुताबिक जिसको उचित समझेगी लेगी।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह— उचित समझने का क्या मापदण्ड है ?

श्री महेश प्रसाद सिंह— जिस तरह औरों का मापदण्ड है उसी तरह का उसका भी मापदण्ड होगा।

श्री त्रिवेणी कुमार— दूसरे-दूसरे सर्विसेज का मापदण्ड तो अडवर्टिजमेंट में निकलता है जिससे पता लगता है इसका मापदण्ड किस तरह समझा जायेगा।

श्री महेश प्रसाद सिंह— जिस तरह से गवर्नमेंट ठीक समझेगी काम करेगी।

कोशी एरिया लैन्ड रेस्टोरेशन टू रैयत्स ऐक्ट।

२५०। श्री लहटन चौधरी—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतानें की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या ता० २२ मई को कोशी एरिया (लैन्ड रेस्टोरेशन टू रैयत्स) ऐक्ट को लागू होने के संबंध में पूछे गये अल्पसूचना प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि उक्त ऐक्ट के लागू करने में सरकार महीनों को नहीं बल्कि दिनों की बात सोचती है ;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उक्त ऐक्ट के लागू होने में इतना विलम्ब क्यों हुआ और कब तक लागू होनेवाला है ?

श्री महेश प्रसाद सिंह— (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) उसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन कमिश्नर भागलपुर, डिवीजन एण्ड तिरहुत डिवीजन को भेजी गई है कि जहाँ-जहाँ यह लागू होगा उसकी रिपोर्ट भेजें। यह अभी तक नहीं आयी है। जैसे ही ड्राफ्ट नोटिफिकेशन कमिश्नर्स भागलपुर और तिरहुत डिवीजन के यहाँ से आ जायेगा तो यह वापस कर दिया जायेगा।

श्री लहटन चौधरी— सरकार ने २२ मई, १९५२ को जवाब दिया था कि कमिश्नर के पास भेजे गये १५ दिन हो गये तो इसका मतलब यह होता है कि अबतक